



आईजीआरएस निस्तारण की समीक्षा गोष्ठी:-

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा जनपद के आइजीआरएस प्रकरणों के निस्तारण हेतु समस्त थाना व कार्यालयों में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ मीटिंग कर शिकायतों के निस्तारण की स्थिति को जाना गया व संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को शिकायतों के समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिए गए-

आई0जी0आर0एस0 निस्तारण के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्देश:-

1. आख्या नियत तिथि को ही भेजी जाती है जिससे गुणवत्ता परीक्षण कर पाना सम्भव नहीं हो पाता अतः आख्या नियत तिथि से कम से कम 03 दिन पूर्व पोर्टल पर अपलोड कर जिससे समय से आख्या का गुणवत्ता परीक्षण किया जा सके।
2. प्रत्येक जांच आख्या में आवेदक से फीडबैक प्राप्त करें व फीडबैक को रजिस्टर में अंकित करें।
3. यदि जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों के अनुरूप आख्या नहीं दी गयी है तो प्रभारी निरीक्षक को अवगत करायें।
4. यदि शिकायतकर्ता जांच/निस्तारण से असन्तुष्ट है तो असन्तुष्ट होने का कारण रजिस्टर पर अंकित करें व प्रभारी निरीक्षक को अवगत करायें। आवेदक की पूर्ण सन्तुष्टि के उपरान्त आख्या अपलोड करें।
5. यदि आख्या पुनः परीक्षण हेतु वापस आती है तो उच्चाधिकारियों द्वारा लगायी गयी आपत्ति से प्रभारी निरीक्षक व जांचकर्ता को अवगत करें तदुसार समाधान कराकर आख्या प्रेषित करें।
6. यदि निस्तारण में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो अपने थाना प्रभारी या प्रभारी आई0जी0आर0एस0 को तत्काल अवगत करायें।
7. समाधान दिवस से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत कर थाना दिवस में बुला लें, जिससे प्रा०पत्र का निस्तारण हो सके।
8. जांच आख्या में जांच के समय मौजूद 02 स्वतंत्र व निष्पक्ष गवाहों के नाम व मो० नम्बर अवश्य अंकित करें। जांचकर्ता अधिकारी का भी मोबाइल नं० अंकित करें।
9. प्रार्थना पत्र में जो भी आदेश उच्चाधिकारियों द्वारा अंकित किये जाते हैं उसका पूरी तरह से अनुपालन होना चाहिये।
10. आवेदनकर्ता/शिकायकर्ता के साथ अच्छा व्यवहार करें।

